न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
पीठासीन अधिकारी :– अर्पिता सोनी आर.ए.एस.

प्र.सं. 152/2020
सीसीएमएस : 2020/00328

1. श्रवण कुमार पुत्र फरसाराम जाति कुम्हार निवासी भोमपुरा तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0

–:वादी

बनाम

1. विनोद कुमार पुत्र कृष्णलाल जाति बिश्नोई निवासी 30 पीएस ए तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर

–:प्रतिवादीगण

अन्तर्गत धारा 88–92ए–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :–

1. श्री अजय धारणियां, वकील वादी
2. श्री अनिल भाम्भू, प्रतिवादी सं. 1

–: निर्णय :–

दिनांक : 30.03.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादी ने वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि जमावंदी संवत 2075–78 चक 44 एनपी तहसील रायसिंहनगर का मु.नं. 30 प.नं. 232/317 के कि.नं. 1/2 की 0.019, 10/2 की 0.019, 11/2 की 0.019, 19/1 की 0.195, 20/2 की 0.019, 21/2 की 0.019, 22 की 0.253है. कुल 0.543है. नहरी व मु.नं. 20 प.नं. 237/316 के कि.नं. 3/1 की 0.188, 4 की 0.253, 5 की 0.228, 6 की 0.228, 7/1 की 0.180, 14/1 की 0.180, 15 की 0.228, 16 की 0.228, 17/1 की 0.180, 24/1 की 0.180, 25 की 0.183 कुल 1.485है. नहरी व 0.771है. बारानी कुल 2.028है. नहरी व 0.771है. बारानी भूमि वादी की खातेदारी भूमि हैं। वादी के ही कब्जा काश्त में हैं। वादी की खातेदारी भूमि में किसी अन्य को दखलन्दाजी करने का कोई अधिकार नहीं हैं तथा वादी की विवादित भूमि पर किसी अन्य को अतिक्रमण करने से रोके जाने का विविध अधिकार है, यही वादकरण वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध हासिल हैं। प्रतिवादी सं. 1 वादी की विवादित कब्जाशुदा खातेदारी भूमि पर अनधिकृत रूप से अतिक्रमण करने की कोशिश में हैं। प्रतिवादी सं. 1 ने दिनांक 09.12.2020 को वादी को व्यक्तिगत रूप से धमकी दी है कि विवादित भूमि चक 44 एनपी के मु.नं. 20 प.नं. 237/316 के कि.नं. 3/1 की 0.188, 4 की 0.253, 5 की 0.228, 6 की 0.228, 7/1 की 0.180, 14/1 की 0.180, 15 की 0.228, 16 की 0.228, 17/1 की 0.180, 24/1 की 0.180, 25 की 0.183 कुल 1.485है. नहरी व 0.771है. बारानी कुल 2.256है. नहरी बारानी भूमि प्रतिवादी ने वादी को बिना प्रतिफल अदा किये उसे नशा खिलाकर जरिये बैयनामां दिनांक 27.08.2019 को खरीद कर ली है और अब वह उक्त निष्प्रभावी व शुन्य तथाकथित दस्तावेज बैयनामां के आधार पर तथा शेष मु.नं. 30 की 0.543है. नहरी भूमि पर जबरदस्ती अपनी ताकत के बल पर कब्जा करेगा जबकि प्रतिवादी को तथाकथित निष्प्रीावी व शून्य दस्तावेज व अपने भुजबल से समस्त विवादित भूमि पर अतिक्रमण करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं हैं। यदि प्रतिवादी सं. 1 अपने इस नापाक इरादे में कामयाब हो जाता हैं तो इससे वादी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। अतः [illegible] खातेदार घोषित करने की डिक्री पारित करने एवं घोषणात्मक आदेश कि प्रतिवादी [illegible] उक्त भूमि में से मु.नं. 20 की 2.256है. नहरी बारानी भूमि की बाबत दस्तावेज बैयनामा [illegible] प्रारम्भ से ही वादी के हितो के विपरी प्रभावहीन व शून्य हैं [illegible] के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा पारित करने हेतु निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.06.07 12:00:22 IST
Reason: SelfAttested

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ने जवाब दावा पेश कर निवेदन किया कि विवादित भूमि का बैयनामा प्रति[illegible] के पक्ष में 27.08.2019 को हुआ है। प्रतिवादी द्वारा बैयनामा दिनांक 27.08.2019 के पेटे दिया गया समस्त प्रतिफल प्राप्त कर लिया गया हैं तथा बैयनामा कैन्सिल बाबत इकरारनामा तहरीर व तकमील कर प्रतिवादी उक्त बैयनामा के आधार पर विवादित भूमि पर कोई हक नहीं रखता हैं। विवादित भूमि का कब्जा वादी के पास ही हैं। बैयनामा दिनांक 27.08.2019 को निष्प्रभावी व शून्य घोषित किया जाता हैं तो प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Scanned with CamScanner

कोई एतराज नहीं है। वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री फरमाया जाता हैं तो प्रतिवादी को कोई राज नहीं हैं।

पक्षकारान की ओर से राजीनामा पेश हुआ जो दिनांक 22.03.2021 को तस्दीक किया गया। ाबिक राजीनामा "दावा में पक्षकारान का आपस में बरूबरू पंचायत बाहमी राजीनामा हो गया हैं। म पक्षकार(वादी) ने द्वितीय पक्षकार(प्रतिवादी) से समस्त विक्रय राशी बैयनामा नगद प्राप्त कर ली पक्षकारान का आपस में कोई लेन देन बाकी नहीं रहा है विवादित भूमि का कब्जा पहले से ही म पक्षकार के पास हैं आपसी राजीनामा के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाता हैं तो कारान को कोई एतराज नहीं है।"

प्रकरण में राजीनामा हो जाने के कारण तथा विवादित भूमि वादी की खातेदारी होने के ारण तनकीयात कायम नहीं की गयी एवं बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी। वकील उभयपक्ष में पनी बहस में बरूवे राजीनामा वाद वादी डिक्री करने तथा बैयनामा दिनांक 27.08.2019 को िष्प्रभावी व शून्य घोषित करने हेतु निवेदन किया। वकील वादी ने न्यायिक नजीर आरआरडी 1978 ज 661 नारू बनाम भैरू सिंह आदि पेश की।

बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। वादी की ओर से स्तुत प्रमाणित प्रति जमाबंदी संवत 2075–2078 चक 44 एनपी के खाता सं. 74 अनुसार विवादित भूमि वादी की खातेदारी भूमि हैं। वादी की ओर से प्रस्तुत रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 27.08.2019 की प्रति अनुसार वादी द्वारा प्रतिवादी सं. 1 को अपनी खातेदारी भूमि में से मु.नं. 20 प.नं. 237/316 में 2.256है. नहरी बारानी भूमि विक्रय की गयी थी। चूंकि प्रकरण में अब पक्षकारान का राजीनामा हो गया हैं। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा अपने जवाब दावा में भी वाद वादी स्वीकार कर डिक्री विरूद्ध प्रतिवादी पारित किये जाने पर सहमति जताई हैं तथा सहमति से उक्त बैयनामां दिनांक 27.08.2019 को शून्य घोषित करवाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में वादी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर बरूवे राजीनामा दिनांक 22.03.2021 के आधार पर वाद पत्र वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी किया जाता हैं कि –

"विवादित भूमि चक 44 एनपी के खाता सं. 74 के मु.नं. 30 प.नं. 232/317 की कुल 0.543है. नहरी, मु.नं. 20 प.नं. 237/316 की कुल 1.485है. नहरी 0.771 है. बारानी कुल खाता की 2.799है. नहरी बारानी भूमि का वादी श्रवण कुमार पुत्र फरसाराम जाति कुम्हार निवासी भोमपुरा तहसील रायसिंहनगर को खातेदार घोषित किया जाता हैं एवं विवादित भूमि बाबत प्रतिवादी सं. 1 विनोद के पक्ष में हुए बैयनामा Document S.No. 201901291002208 दिनांक 27.08.2019 को निष्प्रभावी शून्य घोषित किया जाता हैं। तथा प्रतिवादी सं. 1 के बिरूद्ध इस आश्य की अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती हैं कि वादी की उक्त खातेदारी भूमि में किसी प्रकार से दखलन्दाजी करने से तथा वादी को अपने कब्जा काश्त की भूमि से बेदखल करने से बाज व ममनू रहे।"

इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 30.03.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अर्पिता सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.06.07 12:00:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner